पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2022

अनवान :

बलवंत पुत्र जुगलाल जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र भानीराम जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. कालू राम पुत्र जुगलाल जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री जुगलाल पत्नी जयपाल जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा हाल शामसुख तहसील व जिला हिसार।
4. सीलोचना पुत्री जुगलाल पत्नी शेर सिंह जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा हाल शामसुख तहसील व जिला हिसार।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनम चंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा के खाता सं0 41/67 के खसरा सं0 95/1 की 7.3480है0 बारानी, खसरा सं0 106/1 की 0.7080है0 बारानी कुल खसरा 2 की कुल 8.0560है0 बारानी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादी बलवंत के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल का नाम कलमजन कर वादी बलवंत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner